प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 221/2022 दिनांक 6/6/2022

2.(i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें ..... 7 .....
(ii) अधिनियम.....भा.द.स.....धारायें.....120 बी.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 94 ..... समय 6.30 P.M.
(ख) अपराध घटने का दिन बुधवार दिनांक :– 04.08.2021 समय ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– फतेहपुर जिला सीकर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– दक्षिण–पश्चिम दिशा में करीब 4 किलोमीटर
(ब) पता :– पटवार हल्का दांतरू तहसील फतेहपुर एवं तहसील कार्यालय फतेहपुर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री नेमीचन्द
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री भगवानाराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष :–27 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– निवासी गांच चाचीवाद बड़ा, पुलिस थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1–श्री बाबूलाल पुत्र श्री सादाराम, जाति मेघवाल निवासी रघुनाथपुरा बस स्टेण्ड, पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर हाल पटवारी हल्का दांतरू तहसील फतेहपुर।
2–श्री सम्पतसिंह पुत्र श्री रामलाल, जाति चारण, निवासी भाउजी की ढाणी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 70,000 रूपये .....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

हालात मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2021 को परिवादी श्री नेमीचन्द ने जरिये मोबाईल कॉल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पटवार हल्का दांतरू तहसील फतेहपुर के पटवारी श्री बाबूलाल एवं तहसील कार्यालय फतेहपुर के ऑफिस कानूनगो श्री सम्पतसिंह द्वारा रिश्वत मांगने की कही, जिस पर कार्यालय के श्री मूलचन्द कानि. को परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर रवाना फतेहपुर किया गया।

दिनांक 05.08.2021 को श्री मूलचन्द कानि. ने उपस्थित कार्यालय होकर परिवादी नेमीचन्द पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट, उम्र–27 वर्ष, निवासी गांव चाचीवाद बड़ा पुलिस थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर का लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया

कि ''निवेदन है कि मेरे द्वारा गांव चाचीवाद बड़ा थाना फतेहपुर जिला सीकर में खसरा नं. 441 की कृषि भूमि रकबा 1.69 हैक्ट्यर खरीदी थी। उक्त भूमि एससी कास्ट के नाम होने के कारण मेरे द्वारा उक्त कृषि भूमि को आवासीय परिवर्तन करवाने हेतु अलग–अलग 6 पत्रावली तहसील कार्यालय फतेहपुर में लगाई थी, जिसके लिये मैने फतेहपुर हल्का के दांतरू हल्का के पटवारी श्री बाबूलाल एवं श्री सम्पतसिंह कानूनगो से मिला तो बाबूलाल पटवारी ने मेरे से मेरी छः पत्रावलियों में आवासीय परिवर्तन करवाने हेतु 6,0000 रूपये रिश्वत के मांगे तथा श्री सम्पत सिंह कानूनगो ने मेरे से 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की है। मै मेरे जायज कार्य के लिये उक्त दोनों को रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ और उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। रिपोर्ट देता हूँ कानूनी कार्यवाही करें। एसडी–नेमीचन्द दिनांक 04.08.2021'' श्री मूलचन्द कानि. ने डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि ''कस्बा फतेहपुर पहूँच मैने परिवादी नेमीचन्द से सम्पर्क किया तथा परिवादी के चाहेनुसार मैने पटवार हल्का फतेहपुर के पास पहूँच टेप रिकार्डर परिवादी को चालू कर दे दिया तथा परिवादी के वापिस आने पर टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त कर लिया। कानि. श्री मूलचन्द ने परिवादी की आरोपीगण श्री बाबूलाल पटवारी हल्का दांतरू तहसील फतेहपुर एवं श्री सम्पतसिंह ऑफिस कानूनगो से पटवार घर तथा तहसील कार्यालय में वार्ता होना बताया, जिस पर टेप रिकार्डर को सुना गया तो रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई।

तत्पश्चात दिनांक 17.05.2022 को परिवादी श्री नेमीचन्द उपस्थित कार्यालय आने पर मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री नेमीचन्द ने बताया कि ''दिनांक 04.08.2021 को कस्बा फतेहपुर में श्री मूलचन्द से टेप रिकार्डर प्राप्त कर कस्बा फतेहपुर में तहसील कार्यालय के पास दांतरू हल्का के पटवारी के पटवार घर में गया जहॉ श्री बाबूलाल पटवारी मौजूद मिला, जिससे मैने अपने काम के बारें में वार्ता की तो उसने मेरा कार्य करवाने के लिये मेरे से 60,000 रूपये रिश्वत की मांग की, पटवारी से वार्ता होने के बाद मैने तहसील कार्यालय फतेहपुर में जाकर श्री सम्पतसिंह ऑफिस कानूनगो से मिला तो उसने मेरे काम के लिये 10,000 रूपये रिश्वत देने की कही, उसके पश्चात मैने पुनः पटवारी को जाकर सम्पतसिंह से हुई बात बताई तथा पटवार घर से बाहर आकर मैने टेप रिकार्डर श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर दिया।''

तत्पश्चात परिवादी श्री नेमीचन्द द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 04.08.2021 को आरोपीगण श्री बाबूलाल पटवारी हल्का दांतरू तहसील फतेहपुर एवं श्री सम्पतसिंह ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया। उक्त वार्ता का परिवादी एवं कार्यालय स्टाफ के गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से दो सीडी तैयार कर आरोपीगण व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी श्री नेमीचन्द ने स्वंय की व आरोपीगण श्री बाबूलाल पटवारी हल्का दांतरू तहसील फतेहपुर एवं श्री सम्पतसिंह ऑफिस कानूनगो की आवाजों की पहचान की।

परिवादी श्री नेमीचन्द ने बताया कि मेरे खिलाफ पूर्व में मुकदमा दर्ज होने के कारण मुझे पटवारी एवं कानूनगो को रिश्वत के रूपये देने में देरी हो गई, इसलिये इन्होने मेरी फाईल निरस्त करवा दी है, अब मैने मेरे कार्य के बारे में उनसे बातचीत की तो पटवारी एवं कानूनगो ने मेरे से वार्ता नहीं की शायद उनको मुझ पर शक हो गया है। परिवादी ने बताया कि पटवारी एवं कानूनगो अब मेरे से रिश्वत नहीं लेगें। ऐसी स्थिति में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी।

चूँकि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.08.2021 के दौरान परिवादी ने अपनी पत्रावलियों के संपरिवर्तन के बारे में पटवारी बाबूलाल से वार्ता की तो आरोपी पटवारी बाबूलाल ने कागज पर लिखकर परिवादी को वह कागज नहीं दिया तथा कागज दिखाकर कहा कि '' **मेरा तो कम से कम अता तो होणा ही चाहे**'' जिस पर परिवादी ने कहा कि **''अ लिखबाला तो छोडो थे'' इसी क्रम में परिवादी ने आरोपी पटवारी से सम्पतसिंह ऑफिस कानूनगो को दिये जाने वाले रूपयों के बारे में पूछा तो आरोपी पटवारी ने फिर कागज पर लिखकर परिवादी को कहा कि ''सम्पतजी न अता तो द्योही'' जिस पर**

परिवादी के कथन कि ''कता करां थे ही बताओ दस हजार रूपये'' जिस पर आरोपी पटवारी ने कहा ''हॉ'' तब परिवादी ने कहा कि ''60,000 आपके तथा 10,000 सम्पतजी के'' जिस पर आरोपी पटवारी बाबूलाल ने काह कि ''हॉ'' इसके पश्चात परिवादी ने पास ही स्थित तहसील कार्यालय में जाकर ऑफिस कानूनगो सम्पतसिंह से वार्ता की। वार्ता के दौरान परिवादी के कथन कि '' बाबुलाल जी हुं बात कर लिजो सुणो मन बाबुलालजी 10000 रिपया बताया है मै बान दे दु'' जिस पर आरोपी सम्पतसिंह कानूनगों ने कहा ''ठीक है'' उक्त वार्ता के पश्चात परिवादी ने पुनः पटवारी बाबूलाल के पास जाकर वार्ता की। उक्त वार्ता में परिवादी के कथन कि '' मे तो सीधो कहीयो बाबुलाल जी 10000 रिपया को कहयो है अब नाराजगी नही रहणी चाहेज में 10000 रिपया बाबुलालजी ने दे दूंगा'' आदि कथनों से परिवादी द्वारा उसकी कृषि भूमि का आवासीय परिवर्तन करवाने हेतु तहसील कार्यालय फतेहपुर में लगाई गई पत्रावलियों में आरोपीगण द्वारा आपस में मिलीभगत कर आपराधिक षडयन्त्र के तहत आरोपी श्री बाबूलाल पटवारी हल्का दांतरू तहसील फतेहपुर द्वारा 60,000 रूपये तथा आरोपी श्री सम्पतसिंह ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर द्वारा 10,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग किये जाने की पुष्टि होती है।

की गई कार्यवाही से आरोपीगण श्री बाबूलाल पटवारी हल्का दांतरू तहसील फतेहपुर एवं श्री सम्पतसिंह ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये आपस में मिलीभगत कर आपराधिक षडयन्त्र के तहत परिवादी श्री नेंमीचन्द द्वारा कृषि भूमि का आवासीय परिवर्तन करवाने हेतु तहसील कार्यालय फतेहपुर में लगाई गई पत्रावलियों में लगाये जाने वाले राजकीय शुल्क के बारें में बताते हुये राजकीय शुल्क के अलावा क्रमशः 60,000 रूपये एवं 10,000 रूपये अलग–अलग बतौर रिश्वत की मांग किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपीगण श्री बाबूलाल पटवारी हल्का दांतरू तहसील फतेहपुर एवं श्री सम्पतसिंह ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.स. के तहत दण्डनीय है।

अतः आरोपीगण श्री बाबूलाल पटवारी हल्का दांतरू तहसील फतेहपुर एवं श्री सम्पतसिंह ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(जाकिर अख्तर)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जाकिर अख्तर, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री बाबूलाल, पटवारी, हल्का दांतरू, तहसील फतेपुर, जिला सीकर एवं 2. श्री सम्पतसिंह, ऑफिस कानूनगो, तहसील कार्यालय फतेपुर, जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 221/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1950-54 दिनांक 6.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सीकर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

6.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।